

**आदेश फलक**  
(गैर अगिलेख इस्तक, 1981 का नियम 129)

आदेश फलक ता० ..... से ..... तक

जिला-सिमडेगा ..... सं० ..... सन् 2000

कैस का प्रकार अनुमति पाव सं० 322/19-20 / 201 -

धारा 48 के अन्तर्गत

स के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे तारीख सहित टिप्पण
1		3


26/2/20

आवेदक श्री सुहज शैरेण  
 पिता/पति स्व. मससिद्ध शैरेण ग्राम करजीरांड  
 धाना पाकरटोड जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण  
 की भूमि को प्रस्तावित क्रेता श्री मरि किरण कुब्य  
 पिता/पति श्री सुमीन वा.  
 ग्राम कांडासुखा धाना पाकरटोड  
 जिला-सिमडेगा, को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की  
 धारा-48 के अन्तर्गत श. वि. की हेतु अनुमति के  
 त्रिभित आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ  
 पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है।

भूमि का विवरण

नीजा	धाना/धाना न०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>पाकरटोड</u>	<u>पाकरटोड</u>			
	<u>30</u>	<u>226</u>	<u>4213</u>	<u>0.66 एकड़</u>

कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) द्विमासठसिखील मात्र।  
 आम इस्तहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, पाकरटोड  
 से विस्तृत जीघ प्रतिवेदन की मांग करें। अगिलेख दिनांक 13/3/20  
 को रखें।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
 सिमडेगा।

13/3/2020  
24/03/2020

अमितेवत उपस्थापित। अपरिहार्य कारणों से  
अमितेवत भाज उपस्थापित किया गया। आवेदक एवं  
अधिवक्ता के बीच कोई फरक नहीं पड़ा।

अमितेवत दिनांक: - 19/04/2020 को रखा।

श्रीमि सुधा उपसहायका  
सिमडेगा

10/03/2021

अपरिहार्य कारणों से अमितेवत उपस्थापित।  
अंशक अधिवक्ता पार्लेड के साथ तमिल प्रतिवेदन  
भेजा है। इस बार में आवेदक अथवा आवेदक के  
विद्यालय अधिवक्ता द्वारा एक लम्बी अतथी के अन्तर्गत  
तक कोई फरक नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत  
होगा है कि आवेदक की इस अनुमति बार में अंशक  
भूमि की विक्री हेतु कोई अधिसूचना भेजी। अतः पता नहीं  
है। इस स्थिति में अमितेवत की अन्तर्गत अर्थात् बार  
बार कलम प्रासंगिक नहीं लग रही है।

अतः इस अनुमति बार का एक  
परीय पुनरावृत्ति करने इस बार की अर्थात्- सतत  
की जाती है।

अमितेवत अमितेवत बार में भेजा है।

श्रीमि सुधा उपसहायका  
सिमडेगा